न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./21/2022/जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सरकार जरिये 1. जिला कलक्टर जैसलमेर 2. तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर	1. गोरधनसिंह पुत्र श्री तिलोकसिंह 2. चेतननाथ पुत्र श्री तिलोकसिंह जाति राजपूत निवासी विरमाणी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 2019/00030 (74/2016) बअनवान तिलोकसिंह के कायम मुकाम वगैरा वगै. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 29.01.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। वादीगण के वालिद का कब्जा काश्त की भूमि मूलाना खसरा संख्या 3 व 4 रकबा क्रमशः 115 बीघा, 172.10 बीघा कुल रकबा 287.10 बीघा आई हुई है, जिस पर वादीगण के वालिद का कब्जा काश्त लगातार रहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एवं उनके बाद वादीगण का लगातार चला आ रहा है। वक्त बंदोबस्त भू प्रबंध विभाग वालों तिलोंकसहि के नाम ग्राम विरमाणी के खसरा संख्या 12 रकबा 64.07 बीघा, खसरा संख्या 31 रकबा 45 बीघा, खसरा संख्या 35 रकबा 54.06 बीघा, खसरा संख्या 33 रकबा 01.04 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 166.07 बीघा तो खातेदारी में दर्ज कर दी एवं समरी के मुकाबले 121.03 बीघा भूमि कम कर खसरा संख्या 1 रकबा 41 बीघा, खसरा संख्या 9 के रकबा 80.01 बीघा कुल रकबा 121.01 बीघा गलत ढंग से किस्म बंजड़ सिवायचक दर्ज कर दी इस आश्य का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 16.12.2021 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि वादी/उतरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी पी सी के तहत राज्य प्रतिनिधी जिला कलक्टर को नोटिस देना अनिवार्य था, बावजूद वादी द्वारा धारा 80 सी पी सी का नोटिस नहीं दिया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न ही उक्त वाद में ऐसा कोई तुरंत राहत पाने का युक्तियुक्त कारण नहीं होने के बावजूद वादीनीगण को बिना नोटिस दिये वाद पेश करने की अनुमति दी गयी जो गलत व विधि की मंशा के विपरित होने से वाद के पेश होने में ही विधिक त्रुटि हुई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश किये गये उसे प्रदर्श नहीं करवाए गये जिसे पत्रावली पर पठनीय नहीं है। राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त अधिनियम 1953 की धारा 5 व 16 में प्रतिपादित प्रावधानों से स्पष्ट है नियमि बन्दोबस्त के बाद समरी बन्दोबस्त की कार्यवाही व दस्तावेज महत्वहीन हो जाते है। वादग्रस्त भूमि सरकारी सिवायचक सेटलमेंट से दर्ज जिस पर वादी कभी कभार अतिक्रमी रहा हैं वादी को वाद लाने का कोई वादधिकार नहीं रहा है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जिन साक्ष्यों को आधार बनाया वे एक अतिक्रमी के दावा में कतई स्वीकार्य नहीं है, न ही विधि मान्य है। समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू—प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादीगण के वालिद का कब्जा काश्त की भूमि मूलाना खसरा संख्या 3 व 4 रकबा क्रमशः 115 बीघा, 172.10 बीघा कुल रकबा 287.10 बीघा आई हुई है, जिस पर वादीगण के वालिद का कब्जा काश्त लगातार रहा एवं उनके बाद वादीगण का लगातार चला आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रहा है। वक्त बंदोबस्त भू प्रबंध विभाग वालों तिलोंकसहि के नाम ग्राम विरमाणी के खसरा संख्या 12 रकबा 64.07 बीघा, खसरा संख्या 31 रकबा 45 बीघा, खसरा संख्या 35 रकबा 54.06 बीघा, खसरा संख्या 33 रकबा 01.04 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 166.07 बीघा तो खातेदारी में दर्ज कर दी एवं समरी के मुकाबले 121.03 बीघा भूमि कम कर खसरा संख्या 1 रकबा 41 बीघा, खसरा संख्या 9 के रकबा 80.01 बीघा कुल रकबा 121.01 बीघा गलत ढंग से किस्म बंजड़ सिवायचक दर्ज कर दी, जैसलमेर में समरी बन्दोबस्त से पहले कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ था। समरी बन्दोबस्त के बाद संवत 2021–22 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश की गयी। भू–प्रबंध विभाग के सहायक सैटलमेंट ऑफिसर द्वारा उक्त इन्द्राजत बिना किसी आधार के उक्त खसरान का पर्चा लगान व पास बुक न देकर गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया। वादग्रस्त आराजी पर समरी बन्दोबश्त व सैटलमेंट के अनुसार मेरा काबिज काश्त चला आ रहा हैं। उक्त भू–प्रबंध के खसरा संख्या 01 रकबा 41 बीघा व खसरा संख्या 09 रकबा 80.01 बीघा बनाये गये थे, तत्पश्चात रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य कही भी खंडित नहीं हुई है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी उक्त भूमि रेस्पोडेंट की पीढीयाती कृषि भूमि होना पूर्ण रूप से साबित है। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि राजकीय भूमि हो और रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त में न हो। विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी हैं जिस पर उनका कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं जो स्वयं पटवारी हल्का के कथन से भी यह साबित है। लेकिन सेटलमेंट वालो ने गलत मनमाने व बदयन्ती पूर्वक तरीके से वादग्रस्त भूमि रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी। जिसका भू–प्रबंध विभाग को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दोहराने का ही अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या उसे विलोपित करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की अपील खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना—पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी मेरे कार्यालय से जरिये पत्र दिनांक 20.06.2022 से जानकारी लेने से पूर्व नहीं रहा, अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व रेकर्ड अपडेट कार्य सम्पन्न करने के लिये मेरे कार्यालय से जरियें पत्र दिनांक 20.06.2022 के जबाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पूर्व में हुए निर्णय की प्रति प्राप्त कर राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कायम कर उनकी विधिक सलाहनुसार तुरन्त अपील पेश करना आवश्यक होने से पेश की जा रही है। अपीलांटस अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना—पत्र पर बहस करते हुए बताया कि तहसीलदार फतेहगढ़ ने सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के निर्णय दिनांक 16.12.2021 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील करीब 07 माह बाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम के सुस्थापित सिद्धान्त विलम्ब संतोषजनक ढंग से नहीं होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति मंजूर करने का सद्भावी आधार नहीं होने से अपील पेश करने में सुदीर्घ विलंब हुआ है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना—पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांटस द्वारा पेश शपथ—पत्र पर विश्वास करते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य ब्यान गवाहन तथा राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेज तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस जिसमें नरपतसिंह, अवतारसिंह संवत 2072 का खसरा संख्या 01, 09 में रकबा 80 बीघा पर अतिचार दर्ज किया गया तथा वादी के पुत्र नरपतसिंह व अवतारसिंह का संवत 2071 में क्रमशः खसरा संख्या 1 में रकबा 30 बीघा तथा खसरा संख्या 9 में 25 बीघा भूमि पर अतिचार दर्ज किया गया। तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम बिरमाणी जिसमें वादीगण के नाम दर्ज समरी खसरा संख्या 02 व 03 कुल रकबा 287.10 बीघा दर्ज था जबकि वर्तमान में स्थाई सैटलमेंट में दर्ज खसरा संख्या 12, 31, 33, 34 व 35 में कुल रकबा 166.14 बीघा दर्ज किया गया जो समरी सैलमेंट में वादीगण के नाम 287.10 बीघा खातेदारी में दर्ज की गई तथा शेष रकबा 121.01 बीघा की कमी की गई लेकिन कमी का इंद्राज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार वादीगण/रेस्पोडेंट का पृथक–पृथक रकबा पर कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो तनकीयात कायम की गई जिसमें से प्रतिवादी द्वारा एक भी तनकी को अपने पक्ष में साबित करने का कोई आधार एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से उसके विरूद्ध निर्णित की गई। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ–पत्र एवं वादीगण के गवाह पेश किये जिन्होने भी वक्त बयान अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी पर स्थाई बंदोबस्त लेकर आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सरकारी पक्ष के गवाह गुलाबसिंह पटवारी मोढा ने अपने बयान में यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बीरमाणी खसरा संख्या 1 व 9 पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण कर काश्त करने पर बेदखल की कार्यवाही आदेशित हुई है। यह सही है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी पर पशुचारण भी करते है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादीगण की खातेदारी भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने में भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं। भू प्रबंध विभाग को वादीगण की वादग्रस्त आराजी भूमि को कम दर्ज करने का व उसे खातेदारी में कमी कर सिवायचक दर्ज करने का कोई प्राधिकार नहीं रहा है। इस अवधाराणा की पुष्टि निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से होती हैं।

1. RRT 2016(1) Page 374 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिधारित विधि का सारवान सिद्धांत है कि Settlement department was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर मूल वाद साबित होता है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 2019/00030 (74/2016) बअनवान तिलोकसिंह के कायम मुकाम वगैरा वगै. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर